[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 32

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग18-अरुणाचल प्रदेश में,—

(क) प्रविष्टि 1 का लोप किया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"6. ताई खाम्ती" ;

(ग) प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"8. मिश्मी - कामन (मिजु मिश्मी), इदु (मिश्मी), तारोन (दिगारु मिश्मी)" ;

(घ) प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"9. मोन्पा, मेम्बा, सारताङ्, सजोलाङ् (मिजी)" ;

(ङ) प्रविष्टि 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"10. नोक्ते, ताङसा, तुत्सा, वान्चो" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में "ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है, परिभाषित किया गया है ;" ।

2. संविधान का अनुच्देद 342 नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है :-

"342. अनुसूचित जनजातियां - (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ;" ।

3. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था । अरुणाचल प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा उपांतरित किया गया था ।

4. इस समय अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत स्वरूप सूची में अपने समान अर्थ के साथ आने वाले 18 समुदाय हैं ।

5. अरुणाचल प्रदेश राज्य की सिफारिशों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 18 को नीचे दिए अनुसार उपांतरित करने का विनिश्चय किया गया है:-

(क) क्रम संख्या 1 में 'अबोर' का लोप क्योंकि यह क्रम संख्या 16 में 'आदी' के समान है,

(ख) क्रम संख्या 6 में 'खाम्पती' के स्थान पर 'ताई खाम्ती' रखें,

(ग) क्रम संख्या 8 में मिश्मी, इदु, तारोन के स्थान पर मिश्मी - कामन (मिजु मिश्मी), इदु (मिश्मी), तारोन (दिगारु मिश्मी) को सम्मिलित करना,

(घ) क्रम संख्या 9 में मोम्बा, के स्थान पर मोन्पा, सरताङ्, सजोलाङ् (मिजी) को सम्मिलित करना,

(ङ) क्रम संख्या 10 में 'किन्हीं नागा जनजातियों' के स्थान पर नोक्ते, ताङ्सा, तुत्सा, वान्चो को सम्मिलित करना,

6. इसलिए अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 18 को संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

अर्जुन मुंडा

नई दिल्ली ;
28 जुलाई, 2021.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए है ।

2. अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन में विधेयक में प्रस्तावित समुदायों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को संभावित फायदों का उपबंध करने के लेखे भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय परिकल्पित नहीं है । यह मंत्रालय 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति (वर्ष 2011 की जनगणना) के सदस्यों के कल्याण को पहले से ही वित्त पोषित कर रहा है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्कीमों के अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के अधीन फायदों के लिए भी पात्र है । व्यय को सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय में से ही चुकाया जाएगा ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950(सं.आ.22) से उद्धरण

*   *   *   *   *

भाग 18--अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सब जनजातियां :—

1. अबोर

*   *   *   *   *

6. खाम्पती

*   *   *   *   *

8. मिशमी [,इदू, तारोआन]

9. मोम्बा

10. कोई नागा जनजातियां

*   *   *   *   *

MGIPMRND—518RS(CRC)—29.7.2021.